विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-28/16

श्री योगेश अग्रवाल/स्व. श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल — आवेदक
निवासी– 1525 नेपियर टाउन, जबलपुर म.प्र.
द्वारा– मेसर्स स्प्लेडिड ट्रेड लिंक प्रा.लि., जबलपुर।

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (मा. सं. एवं प्रशा.) वृत्त, — अनावेदक
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर (म.प्र.)

मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र),
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर (म.प्र.)

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 29.05.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 1129/2016 श्री योगेश अग्रवाल विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (मा. सं. एवं प्रशा.) वृत्त, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. जबलपुर एवं अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा दिनांक 9.2.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–28/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 23.2.2017 को प्रारंभ की जिसमें आवेदक के अधिवक्ता श्री डी. खण्डेलवाल एवं श्री अशोक जैन, उपस्थित हुए तथा अनावेदक अनुपस्थित रहे।

04 अनावेदक द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि प्रकरण के संबंध में नस्ती उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाई है अतः प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि देने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई हेतु अगली तिथि दिनांक 20.3.2017 नियत की गई तथा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे अनावेदक की ओर से लिखित प्रतिउत्तर दिनांक 20.3.2017 के पूर्व आवेदक को उपलब्ध करा दें।

05 दिनांक 20.3.2017 को पुनः सुनवाई के दौरान आवेदक का स्वास्थ्य ठीक न होने तथा उनके अधिवक्ता को आवश्यक कार्य होने की सूचना देते हुए आवेदक द्वारा सुनवाई की अगली तिथि देने का अनुरोध किया। अनावेदक को भी विभागीय कार्य होने से वे भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाए। अतः सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 6.4.2017 नियत की गई।

06 दिनांक 6.4.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के अधिवक्ता श्री डी. खण्डेलवाल उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री नीरज कुचिया, कार्यपालन यंत्री, जबलपुर उपस्थित हुए। अनावेदक द्वारा आवेदक की अपील पर लिखित वहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति आवेदक के अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई।

07 तर्क के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन दिनांक 21.7.2015 को ही स्थाई रूप से विच्छेदित हो चुका है। अतः आवेदक किस नियम व अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता है, इसके संबंध में आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अध्याय–2 की धारा 15 का उल्लेख किया गया।

08 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि इस बिन्दु पर न तो अनावेदक द्वारा और न ही फोरम द्वारा इस पर आपत्ति ली है अतः इस स्तर पर इस बिन्दु को उठाया जाना उचित नहीं है। इसके उपरांत भी उनके द्वारा नियम एवं अधिनियम में दर्शाई गई उपभोक्ता की परिभाषा की व्याख्या हेतु 3 दिन का समय चाहा गया।

09 आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि उनके विद्युत कनेक्शन को बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के विच्छेदित कर दिया गया। जबकि अनावेदक द्वारा बताया गया कि जहॉ तक उन्हें स्मरण है आवेदक के अनुरोध पर ही विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात तथा अपील एवं उपभोक्ता की परिभाषा की व्याख्या हेतु समय मांगे जाने पर पर दोनों पक्षों के अनुरोध पर अगली सुनवाई की तारीख दिनांक 12.4.2017 नियत की गई, ताकि गुणदोष के आधार पर अगली कार्यवाही की जा सके।

10 दिनांक 6.4.2017 की कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार आवेदक द्वारा अपना पक्ष दिनांक 7.4.2017 को प्रस्तुत किया गया। इसके अवलोकन करने पश्चात तथा उनके द्वारा दी गई उपभोक्ता की परिभाषा की व्याख्या के दृष्टिगत प्रकरण में सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया तथा उपभोक्ता को दिनांक 6.4.2017 की कार्यवाही विवरण 10.4.2017 को पत्र जारी कर तथा अगली सुनवाई की तारीख दिनांक 28.4.2017 नियत करते हुए सूचना भेजी गई।

11 दिनांक 28.4.2017 को सुनवाई में दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे एवं आवेदक के अधिवक्ता द्वारा डाक से रिज्वाइंडर भेजा गया जिसमें उनके द्वारा पूर्व में भेजी गई अपील के आधार पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया क्योंकि वे स्वास्थ्य की दृष्टि से बार–बार उपस्थित होने में असमर्थ थे। सुनवाई की अगली तारीख 9.5.2017 नियत की गई।

12 दिनांक 9.5.2017 को आवेदक अनुपस्थित रहे एवं अनावेदक की ओर से श्री नीरज कुचिया, कार्यपालन यंत्री एवं श्री अजय दुबे, अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदक द्वारा पुनः 19.4.2017 को भेजे गये रिज्वाइंडर को पुनः डाक से प्रेषित करते हुए 9.2.2017 को भेजी गई अपील में दर्शाये बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया।

13 अनावेदक द्वारा ग्राम ओरैया जहॉ पर कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन स्थापित था, को नगर निगम जबलपुर में शामिल किये जाने बाबत म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 523 दिनांक 14.11.2014 प्रस्तुत की गई। (ओई–1)

14 अनावेदक अधिवक्ता श्री अजय दुबे द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा वर्ष 2006 से उनके विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध गलत टैरिफ लगाये जाने के कारण जो अधिक राशि वसूल की गई है उसे वापस करने की मांग को अमान्य करने एवं अपील निरस्त करने का अनुरोध किया तथा आवेदक की अपील पर अतिरिक्त लिखित वहस प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया।

15 आवेदक को निर्देशित किया गया कि वे अगली सुनवाई की तारीख दिनांक 24.5.2017 को उक्त बिन्दु पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

16 दिनांक 24.5.2017 को पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई। आवेदक का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ एवं अनावेद की ओर से श्री प्रणय सक्सेना, अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदक द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोध जिसमें कि उनके द्वारा दिनांक 9.2.2017 को प्रस्तुत अपील में दर्शाये गये बिन्दुओं पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया था, के दृष्टिगत सुनवाई प्रारंभ की गई।

17 अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा पुनः परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत उपरोक्त अपील खारिज करते हुए एवं पूर्व में दी गई लिखित वहस के आधार पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया।

18 आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस व प्रतिउतत्र तथा सुनवाई के दौरान दिये गये तर्क के आधार पर निम्न तथ्य सामने आये –

अ आवेदक का एक लघु उद्योग ग्राम ओरैया में स्थापित है जिसका संयोजित भार 130 एचपी है, उनको विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ एलव्ही–4 के तहत शहरी दर पर बिलिंग की जा रही है।

ब आवेदक का उपरोक्त उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है जिसके कारण टैरिफ आदेश वर्ष 2007 के लिए सामान्य निबंधन शर्तें की कंडिका–1 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा

जारी अधिसूचना दिनांक 25.3.2006 में दर्शाये अनुसार आवेदक का कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में आता है। (ओई–2)

स आवेदक के कथन अनुसार उनके द्वारा बार–बार अनावेदक से अनुरोध करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ उनके कनेक्शन के विरूद्ध लागू ना करते हुए शहरी क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ से बिलिग की जाती रही तथा बिलिंग विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित होने की तिथि दिनांक 21.7.2015 तक जारी रही।

द अनावेदक द्वारा कोई प्रतिउत्तर न देने पर उनके द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर में एक शिकायत दिनांक 7.10.2016 को दर्ज कराई थी।

19 आवेदक द्वारा बताया गया कि फोरम द्वारा उनकी शिकायत इस आधार पर नस्तीबद्ध कर दी गई क्योंकि उनके विद्युत कनेकशन के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बनाये गये प्रकरण पर अधिनियम की धारा 127 के तहत गठित कमेटी द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णय दिया गया था। परन्तु अनावेदक द्वारा उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अतः माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण फोरम द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.11 के तहत आवेदक की शिकायत ग्राह्य करने योग्य नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया। जबकि आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा फोरम के समक्ष आवेदन उनके विद्युत कनेक्शन पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ जो कि ग्रामीण क्षे के लिए लागू है, के अनुसार बिलिंग नहीं की जाकर शहरी क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जा रही है जिसके कारण आवेदक द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया जिसे वापस दिलाये जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की थी।

20 आवेदक के विद्युत कनेक्शन का दिनांक 30.3.3013 को कार्यपालन यंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें कि आवेदक के स्वीकृत संयोजित भार 130 एचपी के विरूद्ध 176.26 एचपी पाया गया, अतः सतर्कता विभाग द्वारा विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश वर्ष 2012–13 की उच्चदाब श्रेणी 3.1 के अनुसार 12 माह की बिलिंग की गई। इस संबंध में अनावेदक द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई के उपरांत उनके विरूद्ध निकाली गई रिकवरी की राशि रू. 7,22,971/– यथावत रखते हुए प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 13.12.2013 को जारी किया गया।

21 उपरोक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें माननीय हाई कोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण याचिकाकर्ता को प्रकरण पुनः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत गठित अपील कमेटी के समक्ष आवेदक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में सतर्कता दल द्वारा निकाली गई रिकवरी की राशि रूपये 7,22,971/– के विरूद्ध 50 प्रतिशत राशि जमा कर विद्युत

अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत गठित अपील कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

22 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत गठित अपील कमेटी द्वारा आवेदक की अपील पर कार्यवाही करते हुए आवेदक के पक्ष में निर्णय दिया एवं अनावेदक को निम्नदाब टैरिफ एलव्ही–4 के तहत ही बिलिंग जारी करने हेतु निर्देश दिये तथा सतर्कता दल द्वारा परिसर में अधिक लोड पाए जाने पर निकाली गई रिकवरी निरस्त कर दी गई।

23 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक को शहरी क्षेत्र के अनुसार निरंतर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, इसलिए उन्हें शहरी क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ के अनुसार ही बिलिंग की गई तथा जिसका भुगतान उनके द्वारा किया जाता रहा। अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत कनेक्शन विच्छेदित होने तक आवेदक द्वारा कभी भी ग्रामीण क्षेत्र हेतु टैरिफ नहीं लगाये के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उनके द्वारा प्रथम बार इस विवाद का पत्र दिनांक 16.8.2016 (ओई–4) दिया गया जब तक कि उनका विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से दिनांक 21.7.2015 को विच्छेदित हो चुका था।

24 अनावेदक द्वारा यह पुष्टि की गई की आवेदक के विरूद्ध बनाये गये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण के अंतर्गत बड़े हुए भार की बिलिंग शहरी टैरिफ के आधार पर की गई है तथा जिसके तहत 50 प्रतिशत राशि आवेदक से जमा कराकर अपील विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत गठित अपील कमेटी में प्रस्तुत किया गया था जिसके विरूद्ध आवेदक के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा सतर्कता दल द्वारा निकाली गई रिकवरी के विरूद्ध जमा की गई राशि वापिस दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया।

25 अनावेदक द्वारा बताया गया कि अपील कमेटी के निर्णय के विरूद्ध उनके द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई तथा ऐसी परिस्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.11 के तहत लोकपाल को प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है अतः अपील निरस्त की जाए।

26 आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–4) के अनुसार उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनका विद्युत कनेक्शन ग्राम औरैया में स्थित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र आता है। अतः उन्हें ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ के अनुसार ही बिलिंग की जानी चाहिए थी। परन्तु अनावेदक द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ दर से बिलिंग की जाकर अधिक राशि वसूल की गई, इसलिए पिछले 3 वर्षों के सभी विद्युत देयक ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ दर लगाकर बिल संशोधित करें तथा उनसे की गई अधिक वसूली की राशि उन्हें वापस की जाए।

27 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.11.2014 के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तारीख से ग्राम ओरैया को जबलपुर नगर की सीमा में शामिल कर लिया गया है ।(ओई–1)

28 अनावेदक द्वारा टाईम लिमिटेशन एक्ट 1963 के भाग 10 की कंडिका 113 में 3 वर्ष के पूर्व का क्लेम आवेदक द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया ।

उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों, लिखित वहस एवं तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ फोरम द्वारा अपना निर्णय बिना गुणदोष के सिर्फ इस आधार पर लिया गया कि अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत अपील कमेटी के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण पर उनके द्वारा सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जबकि आवेदक द्वारा अपनी शिकायत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के विरूद्ध कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं की गई उनके द्वारा सिर्फ विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध गलत टैरिफ लगाये जाने के कारण शिकायत प्रस्तुत की है। अतः फोरम द्वारा प्रकरण में सुनवाई न करके भूल की गई। अतः आवेदक की अपील ग्राह्य कर सुनवाई किया जाना न्यायहित में उचित है।

ब मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.3.2006 के अनुसार आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था। (ओई–2)

स मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता को निम्नदाब टैरिफ एलव्ही–4 में वर्णित ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार निर्धारित टैरिफ के अनुसार बिलिंग की जानी थी।

द आवेदक का विद्युत कनेक्शन दिनांक 21.7.2015 को स्थाई रूप से विच्छेदित हो चुका है।

च मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना जारी होने की तारीख 14.11.2014 से ग्राम औरैया शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है अतः दिनांक 14.11.2014 से विद्युत कनेक्शन विच्छेदित होने की तिथि 21.7.2015 तक शहरी क्षेत्र की दर से की गई बिलिंग उचित है।

छ अनावेदक द्वारा टाईम लिमिटेशन एक्ट 1963 के भाग 10 की कंडिका 113 के अनुसार 3 वर्ष के पूर्व की रिकवरी नहीं की जा सकती एवं आवेदक द्वारा स्वयं भी अपने पत्र दिनांक 16.8.2016 से पिछले 3 वर्ष के सभी बिलों को ग्रामीण टैरिफ के अनुसार संशोधित कर वसूल की गई अधिक राशि वापस करने की मांग की है। (ओई–4)

ज आवेदक द्वारा दिनांक 7.10.2016 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर में शिकायत दर्ज की गई जबकि उनका विद्युत कनेक्शन दिनांक 21.7.2015 को ही विच्छेदित किया जा चुका था।

झ मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.11.2014 के अनुसार ग्राम ओरैया जहॉ पर आवेदक का विद्युत कनेक्शन स्थापित है, को जबलपुर नगर की सीमा में शामिल कियागया है। अतः दिनांक 14.11.2014 से विद्युत कनेक्शन विच्छेदित होने की तिथि दिनांक 21.7.2015 तक शहरी क्षेत्र के टैरिफ दर से उनके कनेक्शन के विरूद्ध की गई वसूल सही एवं उचित है।

29 आवेदक द्वारा प्रथम बार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में उपरोक्त क्लेम प्राप्त करने के लिए शिकायत दिनांक 7.10.2016 को प्रस्तुत की । अतः कनेक्शन विच्छेदित करने की तिथि 21.7.2015 से तीन साल पूर्व के क्लेम ही मान्य किये जा सकते हैं। चूंकि दिनांक 14.11.2014 से दिनांक 21.7.2015 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र की दर से की गई बिलिंग उचित एवं सही है। अतः इस अवधि के लिए कोई भी क्लेम मान्य नहीं है तथा 1.4.2012 से 14.11.2014 तक की अवधि में उपभोक्त के विरूद्ध शहरी क्षेत्र के टैरिफ से की गई बिलिंग के द्वारा उनसे ली गई अधिक राशि को वापिस अथवा समायोजन किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित होगा।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक दिनांक 1.4.2012 से 14.11.2014 तक की अवधि के लिए आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश के प्रावधानानुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ दर से विद्युत देयक संशोधित किए जाऐं।

ब आवेदक द्वारा इस अवधि में जमा की गई अधिक राशि को वापिस अथवा उनके किसी अन्य चालू विद्युत कनेक्शन में समयोजित किया जाए।

स चूंकि अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत गठित अपील कमेटी द्वारा दिये गये निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, अतः आवेदक द्वारा विवादित राशि के विरूद्ध जमा की गई 50 प्रतिशत राशि का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के उपरांत किया जाए।

द फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

30 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

31 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल